

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
संख्या3126/ग्यारह-5-2008-312(27)/2008
लखनऊ, दिनांक 11 जुलाई,2008

अधिसूचना

विविध

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 (अधिनियम संख्या 7 सन् 1870) की धारा 24 क के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 3 की उप धारा (3) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करके राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ 2 में यथा उल्लिखित उप महानिरीक्षक निबन्धन और उप आयुक्त स्टाम्प को कार्यालय स्थापित करने के लिए उप महानिरीक्षक निबन्धन और उप आयुक्त स्टाम्प के वृत्त कार्यालय का गठन करते हैं और नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में यथा उल्लिखित प्रत्येक कार्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं को विहित करते हैं।

2. यह अधिसूचना गजट में इसके प्रकाशन के दिनांक में प्रभावी होगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	उप महानिरीक्षक निबन्धन और उप आयुक्त स्टाम्प के वृत्त कार्यालय का नाम एवं मुख्यालय	उप महानिरीक्षक निबन्धन और उप आयुक्त स्टाम्प के वृत्त की क्षेत्रीय सीमाओं का नाम
1	2	3
1.	सहारनपुर	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर
2.	मेरठ	मेरठ, बागपत, गाजियाबाद
3.	गौतमबुद्धनगर	गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर
4.	आगरा	आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा
5.	अलीगढ़	अलीगढ़, एटा, महामायानगर, कांशीरामनगर
6.	मुरादाबाद	मुरादाबाद, बिजनौर, ज्योतिबाफुलेनगर, रामपुर
7.	बरेली	बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर
8.	कानपुर	कानपुर नगर, इटावा, फर्रुखबाद, कन्नौज, औरैया,

		कानपुर देहात
9.	लखनऊ	लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव
10.	सीतापुर	सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई
11.	झांसी	झांसी, ललितपुर, जालौन
12.	चित्रकूट धाम (बांदा)	चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा
13.	फैजाबाद	फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर
14.	देवीपाटन (गोण्डा)	गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती
15.	बस्ती	बस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीरनगर
16.	इलाहाबाद	इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर
17.	वाराणसी	वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर
18.	मिर्जापुर	मिर्जापुर, सोनभद्र, सन्तरविदासनगर
19.	गोरखपुर	गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज
20.	आजमगढ़	आजमगढ़, मऊ, बलिया

उप महानिरीक्षक निबन्धन और उप आयुक्त स्टाम्प का एक कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन एवं आयुक्त स्टाम्प के लखनऊ स्थित शिविर कार्यालय में होगा।

उप महानिरीक्षक निबन्धन और उप आयुक्त स्टाम्प का एक कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन एवं आयुक्त स्टाम्प के इलाहाबाद स्थित कार्यालय में होगा।

उप महानिरीक्षक निबन्धन और उप आयुक्त स्टाम्प का एक कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के अधीन होगा।

आज्ञा से
गोविन्द नायर,
प्रमुख सचिव।

संख्या: 3126(1)/ग्यारह-5-2008-312(27)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी तथा हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे 11 जुलाई 2008 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड) ख (में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 200 प्रतियां महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को और 100 प्रतियां शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से
)एम0बी0सिंह(
अनु सचिव।

संख्या: 3126(2)/ग्यारह-5-2008-312(27)/2008 तद्विनांक

- 1- महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/शिविर लखनऊ।
- 2- समस्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- अपर महानिरीक्षक निबन्धन, (प0क्षे0) गाजियाबाद।
- 5- समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से उपनिबन्धक को एक-एक प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- विधायी अनुभाग-1।
- 7- विधि परामर्शी पुस्तकालय, उ0प्र0 सचिवालय।
- 8- शासकीय हस्तान्तरक, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9- सूचना निदेशक, सूचना विभाग, लखनऊ।
- 10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से
)एम0बी0सिंह(
अनु सचिव।